



झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद

Jharkhand State Paramedical Council

रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची-834009, झारखण्ड, भारत
RIMS Doctors' Colony Campus, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand, India

E-mail: jspcranchi@gmail.com Tele-Fax:-0651-2972681



(Constituted by the Department of Health, Medical Education & family Welfare, Government of Jharkhand vide Notification no- 7(A)/Paramed.-11-09/09-356(7A)Ranchi, Dated 17.9.2010)

डॉ. मार्शल आइन्द

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सह
अध्यक्ष

Dr. Marshal Aind

Director in Chief,
Health Services, Jharkhand cum
Chairman

प्रो. डॉ. विवेक कश्यप

विभागाध्यक्ष,
पीएसएम विभाग,
रिम्स, राँची सह
सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी
निदेशक

Prof. Dr. Vivek Kashyap

HOD, PSM Dept.
RIMS, Ranchi cum
Member Secretary &
Executive Director

प्रो. डॉ. डी के सिन्हा

शल्य विभाग, रिम्स, राँची सह
परीक्षा नियंत्रक

Prof. Dr. D K Sinha

Surgery Dept. RIMS,
Ranchi cum
Examination Controller

प्रो. डॉ. आर के गुप्ता

चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह
शैक्षणिक समन्वयक

Prof. Dr. R K Gupta

Dept. of Ophthalmology
RIMS, Ranchi cum
Academic Coordinator

डॉ. एम. दीपक लकड़ा

निबंधक

Dr. M. Deepak Lakra

Registrar

सं०सं०- पारा.मेडि./विविध-15/2020

128

प्रेषक,

प्रो. डॉ. विवेक कश्यप

सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक

झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, राँची।

सेवा में,

सचिव,

खुशीदा फाउण्डेशन, किड्स गैलेक्सी, नया बाजार,
धनबाद, झारखण्ड-826201

राँची, दिनांक: 02/08/2021

विषय:- पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके संस्थान द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रस्तावित संस्थान, धनबाद पारामेडिकल कॉलेज द्वारका सिटी, गोविन्दपुर, धनबाद, झारखण्ड का गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा दिनांक 31/01/2021 को आवेदित पाठ्यक्रमों का भौतिक निरीक्षण किया गया। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार आपके संस्थान को झारखण्ड पारामेडिकल/पाराडेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद् गठन नियमावली -2010 की कण्डिका-15 से 25 के आलोक में निम्न पाठ्यक्रमों की मान्यता शर्तों के साथ तत्काल प्रभाव से दी जाती है:-

क्रम सं.	पारामेडिकल पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
i.	Diploma in Medical Laboratory Technician	40
ii.	Diploma in O.T. Technician/Assistant	20
iii.	Certificate in Dresser Course	40

शर्तें:-

- झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची के द्वारा इस संस्थान की मान्यता जारी रखने हेतु प्रति वर्ष निरीक्षण किया जायेगा एवं संस्थान के अनुरूप पाठ्यक्रमों एवं नामांकन क्षमता को बढ़ाया/घटाया जायेगा। निरीक्षण हेतु विहित शुल्क संस्थान द्वारा परिषद् को प्रतिवर्ष देय होगा।
- आप उक्त पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के सीटों की संख्या झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, राँची, विनियमावली 081 / झा.रा.पा.प., राँची, दि.25.03.2014 के अनुसार छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं "फी" ले सकेंगे।

10

3. आप प्रति वर्ष पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रमवार छात्रों के नामांकन की पूर्ण विवरणी नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् एक माह के अंदर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची को संसूचित करेंगे। प्रबंधन सीटों पर लिये गये छात्र/छात्राओं एवं मुक्त सीटों पर जे.सी.ई.सी.ई. बोर्ड द्वारा भेजे गये छात्र/छात्राओं की सूची प्रतिवर्ष नामांकन समाप्ति के 1 महीने के अन्दर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची को भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र/छात्राओं को परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
4. अपने संस्थान अन्तर्गत सभी बड़े मशीन/ उपकरणों पर पंचीग मशीन से संस्थान का नाम एक माह के अन्दर खुदवाकर काउन्सिल को सूचित करेंगे।
5. इनके मान्यता पर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद के शासी परिषद की बैठक दिनांक 23/07/2021 की कार्यवाही कण्डिका 16 में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(प्रो.डॉ. विवेक कश्यप)

सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक

झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची।

